न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/141

1. बजरंग लाल आत्मज पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण जाति लश्करी मेघवंशी ।
2. धनराज आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण जाति लश्करी मेघवंशी निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. गुलाब बाई पुत्री गणेश राज पत्नी श्री श्योराम जाति लश्करी मेघवंशी निवासी खेडली फाटक कोटा ।
2. पुष्पा बाई पुत्री श्री गणेश राम पत्नी श्री केसरी लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. भंवरलाल पुत्र श्री केसरी लाल उम्र 50 वर्ष ।
   2/2. पूरण लाल आत्मज केसरी लाल उम्र 47 वर्ष ।
   2/3. गरीबदास आत्मज केसरी लाल उम्र 45 वर्ष ।
   2/4. गोपी लाल आत्मज केसरी लाल उम्र 43 वर्ष ।
   2/5. चन्द्र प्रकाश आत्मज केसरी लाल उम्र 42 वर्ष ।
   2/6. रामरतन आत्मज केसरी लाल उम्र 40 वर्ष निवासीगण नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मंजू नायक पत्नी श्री महावीर प्रसाद नायक जाति नायक निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।

––––रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 19/142

1. बजरंग लाल आत्मज पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण जाति लश्करी मेघवंशी ।
2. धनराज आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण जाति लश्करी मेघवंशी निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. गुलाब बाई पुत्री गणेश राज पत्नी श्री श्योराम जाति लश्करी मेघवंशी निवासी खेडली फाटक कोटा ।
2. पुष्पा बाई पुत्री श्री गणेश राम पत्नी श्री केसरी लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. भंवरलाल पुत्र श्री केसरी लाल उम्र 50 वर्ष ।
   2/2. पूरण लाल आत्मज केसरी लाल उम्र 47 वर्ष ।
   2/3. गरीबदास आत्मज केसरी लाल उम्र 45 वर्ष ।

2/4. गोपी लाल आत्मज केसरी लाल उम्र 43 वर्ष ।
2/5. चन्द्र प्रकाश आत्मज केसरी लाल उम्र 42 वर्ष ।
2/6. रामरतन आत्मज केसरी लाल उम्र 40 वर्ष निवासीगण नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मंजू नायक पत्नी श्री महावीर प्रसाद नायक जाति नायक निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दीपक कलवार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से दोनों अपीलों में ।
3. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 03 की ओर से दोनों अपीलों में

निर्णय

दिनांकः 03.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.03.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकारान होने एवं एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 गुलाब बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 89, 91, 91 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 08 पुष्पाबाई के पिता गणेशराम की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा में गत खसरा नम्बर 22 की रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 की 30 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित है । उक्त भूमि के सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 42 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 की 1.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 178 की 3.00 हैक्टर कुल 03 किता की 4.85 हैक्टर कायम कर दिये । उक्त आराजी गलत व विधि–विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी क्रम 1 से 7 के पिता व दादा लक्ष्मण के नाम दर्ज कर दी जिस पर वादिनी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा के यहॉ घोषणा व विभाजन हेतु एक नियमति वाद संख्या 330/1990 दायर किया जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा पिता गणेशराम जी उक्त कृषि आराजी में वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 08 पुष्पा बाई का प्रतिवादी क्रम 01 से 7 के पिता व दादा लक्ष्मण के साथ बराबर का 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर

दिनांक 21.06.1991 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की तथा दिनांक 15.07.1991 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की । न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा पारित उक्त विभाजन की अंतिम डिक्री के अनुसार वादिनी को खसरा 42 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 की 1.61 हैक्टर कुल 1.62 हैक्टर आराजी व प्रतिवादी क्रम 1 से 7 के पिता व दादा लक्ष्मण को खसरा नम्बर 175 की 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 42 की 0. 01 हैक्टर, खसरा नम्बर 178 की 1.40 हैक्टर कुल 1.62 हैक्टर आराजी तथा प्रतिवादी क्रम 08 पुष्पाबाई को खसरा नम्बर 178 की 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 42 की 0.01 हैक्टर कुल 1.61 हैकटर विभाज में पृथक–पृथक दी गई और उक्त आराजी को पृथक–पृथक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये । उक्त आदेश की पालना में वादिनी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करती चली आ रही है परन्तु उक्त भूमि पक्षकारान के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हुई और सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी क्रम 1 से 7 के पिता व दादा लक्ष्मण के नाम दर्ज रही । लक्ष्मण जी के देहान्त हो जाने के बाद उसके वारिस व उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 3 से 7 के पिता व पति मनफूल ने प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के तथ्यों को छुपाकर गलत एवं विधि–विरूद्ध तरीके से उक्त सम्पूर्ण आराजी अकेले स्वयं तीनों के नाम दर्ज करवा ली तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 3 से 7 के पिता व व पति मनफूल ने उक्त भूमि में अपना 1/3 हिस्सा बताते हुए प्रतिवादी क्रम 08 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया । जबकि उक्त भूमि में मनफूल का कोई हक अधिकार नहीं था । उक्त बेचान प्रारम्भ से ही अनाधिकृत, अवैधानिक एवं शून्य है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि में अपना 1/3 हिस्सा बताते हुए उक्त भूमि को बेचान करने का प्रयास कर रहे हैं । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये के वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत एवं अवैध इन्द्राज के आधार पर वादिनी के हिस्से की आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान नहीं करें और वादिनी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें ।

4. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 03 से 07 के पिता व पति मनफूल का नाम एवं खसरा नम्बर 175 की 1.61 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 व प्रतिवादी 09 का नाम हटाकर उक्त आराजी वादिनी की खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण शान्तिपूर्वक कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें वादी को बेदखल नहीं करें और उक्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

5. प्रतिवादी क्रम 1 व 2 एवं 09 द्वारा जवाब दावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.01.2019 के द्वारा वादी वादिनी स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की तथा दिनांक 18.03.2019 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक दिनांक 30.01.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.03.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने न्यायालय हाजा में दो अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादिनी द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पारित की गई विभाजन की अंतिम डिक्री पारित किये 12 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है । 30–40 वर्ष के लम्बे अंतराल के बाद पूर्व में पारित की गई डिक्री के आधार पर वादी का दावा स्वीकार करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी के पक्ष में पारित विभाजन की डिक्री के बावजूद भी वगैर वादपत्र में विभाजन की सहायता चाहे बिना ही वादिनी के पक्ष में विभाजन की डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 08 पुष्पा बाई का दिनांक 24.09.2017 को देहान्त हो चुका है और बिना उसके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये ही निर्णय पारित कर दिया जो पूर्ण रूप से अवैध व प्रभावशून्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से वादिनी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.03.2019 निरस्त फरमाई जावें ।

8. अपीलान्ट ने अपील संख्या 19/141 में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपील विलम्ब से पेश की है क्योंकि दौराने वाद अपीलान्ट का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह टाईफाईड रोग से ग्रस्त हो गया । इस दौरान प्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी क्रम 01 की सेवा में लगे होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया और सम्पर्क करने के उपरान्त नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट संख्या 19/141 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपील संख्या 19/142 दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादिनी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायलय में एक दावा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था और यह कथन किया था कि सहायक कलक्टर कोटा द्वारा दिनांक 21.06.1991 को वादिनी के पक्ष में अंतिम डिक्री पारित करते हुए उन्होंने खसरा नम्बर 42 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 की 1.61 हैक्टर का खातेदार घोषित कर विभाजन की डिक्री पारित की थी परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का नाम दर्ज नहीं हो पाया । अतः राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादिनी को खातेदार घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । वादग्रस्त आराजी पर वादिनी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । वादग्रस्त आराजी लक्ष्मण जी के खाते में दर्ज थी इसके उपरान्त प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज हुई और आराजी का भूखण्डों के रूप में बेचान किया जा चुका है । क्रेतागण ने

पृथक–पृथक मकानों का निर्माण करवा लिया है । वादिनी के द्वारा लम्बे समय तक अपने अधिकारों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की है अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रही हैं । सन् 1991 की डिक्री अवधि बाधित हो चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हक घोषणा के दावे में विभाजन की डिक्री पारित की है । वादिनी के द्वारा विभाजन की सहायता नहीं मांगी थी । मनफूल ने वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से का बेचान कर दिया है । वादग्रस्त आराजी पर वादिनी का कब्जा नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1) (4) के तहत उनके अधिकार समाप्त हो चुके हैं । धारा 188 के दावे की समय सीमा 03 वर्ष होती है और धारा 183 के दावे की 12 वर्ष होती है यह अवधि समाप्त हो चुकी है दावा बेरून मियाद है । वादीगण को पूर्व में जिस आराजी के बाबत् सन् 1991 में डिक्री प्रदान की गई थी उससे भिन्न आराजी अपीलाधीन निर्णय में प्रदान की गई है जो सहायता उन्हें दी गई है वो Ancillary Relief में नहीं आती है इसलिए विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्धरत नजीरें यहॉ चस्पा नहीं होती हैं । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.03.2019 निरस्त फरमाये जावें ।

11. रेस्पोडेन्ट कम 01 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अंतिम डिक्री को चैलेंज नहीं किया है । अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील में भी वो ही तथ्य लिखे हैं जो प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ अपील में अंकित किये हैं । वादिनी के द्वारा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1) (4) लागू नहीं होता है क्योंकि धारा 63 (1) (4) अतिक्रमी की बेदखली से सम्बन्धित है । इसी प्रकारण तृतीय शिड्यूल का 23 एवं 23 (ए) (बी) भी अतिक्रमण से सम्बन्धित है जो वादिनी पर लागू नहीं होता है । वादिनी वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार है और गणेश की पुत्री है जिसको जन्म से ही वादग्रस्त आराजी में अधिकार प्राप्त है । धारा 188 के दावे की समय सीमा कॉज ऑफ एक्शन से प्रारम्भ होती है और उससे दावा अन्दर मियाद है । पूर्व निर्णय के अनुसार वादिनी को वादग्रस्त आराजी प्रदान नहीं की जा सकती थी क्योंकि प्रतिवादीगण ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर यह कथन किया है था कि वो वादिनी के हिस्से की आराजी का बेचान कर चुके हैं जिरह में स्वयं प्रतिवादीगण ने यह कथन किया है कि वादिनी के पक्ष में जिस आराजी के बाबत् डिक्री जारी की गई थी उसका बेचान किया जा चुका है । वादिनी को खाली जमीन दे दी जावे जिस पर वादिनी के द्वारा स्वीकारोक्ति दी थी । बदली हुई परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वो विधि सम्मत है । बिना तनकी कायम किये पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय इन परिस्थितियों में बंटवारे की डिक्री पारित करने में सक्षम है । आदेश 22 नियम 04 (4) सीपीसी में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई प्रतिवादी लिखित जवाब फाईल करने में असमर्थ रहते हैं अथवा फाईल करने के उपरान्त सुनवाई के लिए उपसंजात नहीं हुए अथवा प्रतिवाद करने में असफल रहते हैं तो ऐसे प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी और उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध मृत्यु हो जाने पर भी निर्णय सुनाया जा सकेगा और उस निर्णय का वो ही प्रभाव होगा मानो मृत्यु के पूर्व सुनाया गया हो । साथ ही यह भी कथन किया कि यदि पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और पक्षकार तथ्यों की पूर्ण जानकारी रखते हैं तो बिना तनकी कायम किये भी निर्णय पारित किया जा सकता है । यदि पूर्व में विभाजन हो चुका है और उस विभाजन के अनुसार खातेदार को हिस्सा नहीं मिला है तो नया विभाजन का दावा पेश किया जा

सकता है । विभाजन के नये दावे में रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । अपीलान्ट ने स्वयं यह कथन किया है कि पूर्व के विभाजन में रेस्पोडेन्ट को जो आराजी दी गई थी उसका विक्रय हो चुका है तो ऐसी स्थिति में भी आराजी जो कि मौके पर खाली पडी है उसे रेस्पोडेन्ट वादिनी को दिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01. 2019 एवं 18.03.2019 बहाल रखे जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1989 (कर्नाटका) पेज 45, सीसीसी 2002 (3) पेज 155, एआईआर 1959 (पटना) पेज 331, डीएनजे 2000 (राज0) पेज 429, सीसीसी 2019 (1) पेज 830, एआईआर 1993 (गोवाहाटी) पेज 35, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय रामावतार बनाम संजय कुमार दिनांक 01.09.2006, आरबीजे 2001 पेज 432 उद्धरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट क्रम 03 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सद्भावी क्रेता है यदि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री यथावत रहती है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है अन्यथा वादिनी ने अपने बयानों में स्वयं कथन किया है कि उन्होंने बंटवारे का दावा पेश नहीं किया है वरन् पूर्व में पेश दावे की डिक्री हुई थी उसकी पालना के लिए दावा पेश किया है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के सदुभावी क्रेता हैं । धारा 41 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार यदि वादिनी अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है तो न्यायालय भी उनकी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जावें ।

13. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि पुष्पाबाई की मृत्यु हो चुकी थी उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना निर्णय पारित किया गया हे । वादिनी ने बंटवारे का दावा पेश नहीं किया था और दावे में Subsequent event के बारे में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । वादिनी का मौके पर कब्जा नहीं है दावा अवधि बाधित है । डब्ल्यूएलसी 2015 (5) राजस्थान पेज 194 में भी लिमिटेशन निर्धारित किया है जो इस प्रकरण पर चस्पा होता है । वादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 2002 (3) सुप्रीम कोर्ट पेज 155 और सीसीसी 2019 (1) सुप्रीम कोर्ट पेज 830 यहॉ चस्पा नहीं होता है क्योंकि लॉ के आधार पर Subsequent event के सम्बन्ध में न्यायालय स्वविवेक के आधार पर नोटिस ले सकते हैं । फैक्ट के आधार पर Subsequent event की स्थिति दावे में संशोधन किया जाना आवश्यक है । वादी के द्वारा पुनः विभाजन का दावा पेश नहीं किया गया है इसलिए 2006 पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायलय एवं एआईआर 1959 पटना भी यहॉ लागू नहीं होता है । एआईआर 1993 गोवाहाटी पेज 35 भी यहॉ चस्पा नहीं होता है क्योंकि वादिनी के द्वारा अपने दावे में विभाजन की प्लीडिंग नहीं ली है इस कारण तनकी कायम किये जाने का प्रश्न ही नहीं होता है । आरएलडब्ल्यू 2005 (5) पेज 710 भी वादिनी की मदद नहीं करता है क्योंकि इन्द्राज दुरूस्ती के दावे में विभाजन की सहायता अनुषांगिक Ancillary Relief नहीं मानी जा सकती । एआईआर 1989 कर्नाटक पेज 45 भी यहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया है जिस पर वादिनी का कब्जा नहीं था । विभाजन के दावे के लिए समान हेतुक की पस्थितियॉ नहीं हैं । पुष्पा बाई की मृत्यु के बाद डिक्री पारित की गई है । 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 244 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 22 नियम 04 (4) के तहत छूट निर्णय सुनाने के पूर्व प्रदान की जा सकती है । इस कारण डिक्री nullity है ।

14. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपील संख्या 19/141 में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सहायक कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 21.06.1991 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1 और इस निर्णय की डिक्री प्रदर्श– 2, न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा की आदेशिका दिनांक 21.06.1991 की प्रति प्रदर्श–3, पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 25.06.1991 प्रदर्श–4, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 150 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 6, मुख्तारनामा द्वारा गुलाबबाई प्रदर्श– 7–ए, नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 151 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 8 पेश की गई हैं ।

16. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में एक मुख्तारनामा द्वारा मंजूनायक प्रदर्श–डी–1–ए पेश किया गया है ।

17. अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बयान रामलाल पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

18. प्रतिवादी की ओर से बयान बजरंगलाल कराये गये हैं । इसके अलावा महावीर नायक के डीडब्ल्यू–2 के रूप में शपथ पत्र संलग्न है परन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है ।

19. वादिनी के द्वारा दावा यह कथन करते हुए पेश किया है कि सहायक कलक्टर, कोटा के यहॉ सन् 1990 में जो दावा पेश किया गया था उसमें विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.06.1991 को और विभाजन की अंतिम डिक्री दिनांक 15.07.1991 को पारित की गई थी। इस अंतिम डिक्री में वादिनी को खसरा नम्बर 42 की 0.03 हैक्टर और खसरा नम्बर 175 की 1.82 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया गया था और खाते पृथक किये गये थे परन्तु इस आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है । अतः वादिनी का दावा डिक्री कर वादिनी को इस आराजी का खातेदार घोषित किया जावे और वादिनी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

20. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया गया मौखिक एवं लिखित साक्ष्य आने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.01.2019 को दावा वादिनी डिक्री करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 25.03.2019 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । विभाजन की पुनः प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी में अंतिम डिक्री के अनुसार पक्षकारों के खाते पृथक–पृथक नहीं किये गये थे और उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 के पिता मनफूल के द्वारा खसरा नम्बर 175 की 1.82 हैक्टर

एवं खसरा नम्बर 178 की रकबा 0.03 हैक्टर आराजी में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 09 को बेचान कर दी है और प्रतिवादी कम 09 के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उन्होंने उस 1/3 हिस्सा आराजी में भूखण्ड काटकर बेचान किया जा चुका है जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बदली हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनः विभाजन किया जाना न्यायोचित मानते हुए विभाजन की यह प्रारम्भिक डिक्री जारी की है ।

21. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि वादग्रस्त आराजी पर वादिनी का कब्जा नहीं है । इस कारण उसको दावा अवधि बाधित है क्योंकि कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है । धारा 188 के दावे के लिए 03 साल कि मियाद निर्धारित है और धारा 183 के लिए 12 साल की मियाद निर्धारित है । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि सहायक लक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 15.07.1991 की अनुपालना में खाते पृथक नहीं हुए थे ऐसी स्थिति में वादिनी की स्थिति एक सहखातेदार की होती है और एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के प्रतिकूल नहीं होता है वरन् उसकी ओर से माना जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने बदली हुई परिस्थितियों की रोशनी में नये सिरे से विभाजन की प्रारम्भिक और अंतिम डिक्री जारी की है । इस कम में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि अपीलान्ट जो कि सहखातेदार था उनके द्वारा सहायक कलक्टर, कोटा के निर्णय और डिक्री के विपरीत जाकर सम्पूर्ण आराजी पर अपना नाम दर्ज करवा लिया और उस आराजी में से कुछ आराजी का बेचान कर दिया है । बदली हुई परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से नये सिरे से विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । इस कम में उनके द्वारा एआईआर 1989 कर्नाटक पेज 45, एआईआर 1959 पटना, सीसीसी 2002 (3) सुप्रीम कोर्ट पेज 155 और सीसीसी 2019 (1) सुप्रीम कोर्ट पेज 830, 2006 पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय रामावतार बनाम संजय उद्धरत की है ।

22. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन है कि ये नजीरें इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती हैं । चूँकि पूर्व में अंतिम डिक्री जारी होने के बावजूद वादग्रस्त आराजी के खाते पृथक नहीं किये गये वरन् वादग्रस्त आराजी लक्ष्मण और उसके उपरान्त प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की गई और प्रतिवादी कम 03 लगायत 07 के पिता एवं पति मनफूल ने विभाजन की प्रारम्भिक एवं अंकित डिक्री के तथ्यों को छुपाकर वादग्रस्त आराजी का बेचान भी कर दिया है । ऐसी स्थिति में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर एआईआर 1959 पटना पेज 331, एआईआर 1989 कर्नाटका पेज 45, सीसीसी (एससी) 2002 (3) पेज 155, सीसीसी (एससी) 2019 (1) पेज 830 यहाँ चस्पा होती है । इन नजीरों की अनुपालना में परीक्षण न्यायालय ने बदली हुई परिस्थितियों में नये सिरे से विभाजन की डिक्री जारी की है ।

23. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन है कि सीसीसी 2002 (3) (एससी) पेज 155 में लॉ के आधार पर Subsequent event के आधार पर सहायता में संशोधन किया जा सकता है। यदि तथ्यों के आधार पर Subsequent event है तो दावे में संशोधन किया जाना अनिवार्य है परन्तु सीपीसी 2019 (1) पेज 830 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि तथ्य एवं लॉ पर आधारित Subsequent event में न्यायालय सहायता में संशोधन कर सकता है । चूँकि पूर्व में जो विभाजन की अंतिम डिक्री

पारित की गई थी उसके अनुसार आराजी का विभाजन नहीं हुआ था । ऐसी स्थिति में 2006 पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय रामावतार बनाम संजय कुमार एवं एआईआर 1989 कर्नाटक पेज 45 की रोशनी में पुनः विभाजन की डिक्री पारित की जा सकती है और डीएनजे 2000 (राज0) पेज 429 के अनुसार यदि पक्षकार तथ्यों से परिचित है और पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं तो विवाद्यकों की विरचना नहीं होना घातक नहीं है । एआईआर 1993 गोवाहाटी पेज 35 भी यहॉ चस्पा होता है । जहॉ तक पुष्पा के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने का प्रश्न है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विभाजन की प्रारम्भिक और अंतिम डिक्री पारित की गई है जिसमें पुष्पा बाई के अलावा अन्य भी पक्षकारन हैं और आदेश 22 नियम 04 (4) की रोशनी में प्रतिवादी के सुनवाई के दौरान उपसंजात नहीं होने की स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाने पर भी निर्णय सुनाया जा सकेगा और वह निर्णय वही बल एवं प्रभाव रखेगा मानो वो मृत्यु से पूर्व सुनाया गया हो ।

24. विद्वान् अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2009 पेज 244 यहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि उस प्रकरण में एकमात्र प्रतिवादी था जबकि इस प्रकरण में पुष्पाबाई के अलावा भी अन्य प्रतिवादी हैं और डिक्री विभाजन की पारित की गई है । इस डिक्री के अनुसार पुष्पा बाई का जो हिस्सा वादग्रस्त आराजी में प्रदान किया गया है वो उनके वारिसान को प्राप्त हो जावेगा और अपील में उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर आ चुके हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पुष्पा बाई की मृत्यु हो जाने पर उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने की आपत्ति पुष्पा बाई के कायम मुकामान ही कर सकते हैं अपीलान्ट नहीं। डीएनजे 2013 (एससी) पेज 185 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विभाजन हक घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के दावे में किसी एक प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही हो जाने व उनके द्वारा जवाब पेश नहीं होने की स्थिति में आदेश 22 नियम 4 (4) के तहत छूट दी जा सकती है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती ।

25. जहॉ तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायला की आदेशिका दिनांक 18.02.2019 के अनुसार उभयपक्ष के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्ति किया जाना अंकित किया है । साथ ही अपीलान्ट के द्वारा अंतिम डिक्री के खिलाफ जो अपील पेश की है उसमें वो ही आपत्तियॉ दर्ज की गई हैं जो प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ दर्ज की गई हैं । अंतिम डिक्री के बाबत् कोई आपत्ति अपील मीमो में अंकित नहीं की गई है । तद्नुसार अपील अपीलान्ट विरूद्ध अंतिम डिक्री सारहीन होने से खारिज होने योग्य हैं ।

26. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट अपील संख्या 19/141 एवं 19/142 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.03.2019 बहाल रखे जाते हैं ।

27. निर्णय आज दिनांक 03.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/141

1. बजरंग लाल आत्मज पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण जाति लश्करी मेघवंशी ।
2. धनराज आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण जाति लश्करी मेघवंशी निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गुलाब बाई पुत्री गणेश राज पत्नी श्री श्योराम जाति लश्करी मेघवंशी निवासी खेडली फाटक कोटा ।
2. पुष्पा बाई पुत्री श्री गणेश राम पत्नी श्री केसरी लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. भंवरलाल पुत्र श्री केसरी लाल उम्र 50 वर्ष ।
   2/2. पूरण लाल आत्मज केसरी लाल उम्र 47 वर्ष ।
   2/3. गरीबदास आत्मज केसरी लाल उम्र 45 वर्ष ।
   2/4. गोपी लाल आत्मज केसरी लाल उम्र 43 वर्ष ।
   2/5. चन्द्र प्रकाश आत्मज केसरी लाल उम्र 42 वर्ष ।
   2/6. रामरतन आत्मज केसरी लाल उम्र 40 वर्ष निवासीगण नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मंजू नायक पत्नी श्री महावीर प्रसाद नायक जाति नायक निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।

——प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 19/142

1. बजरंग लाल आत्मज पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण जाति लश्करी मेघवंशी ।
2. धनराज आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण जाति लश्करी मेघवंशी निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गुलाब बाई पुत्री गणेश राज पत्नी श्री श्योराम जाति लश्करी मेघवंशी निवासी खेडली फाटक कोटा ।
2. पुष्पा बाई पुत्री श्री गणेश राम पत्नी श्री केसरी लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. भंवरलाल पुत्र श्री केसरी लाल उम्र 50 वर्ष ।
   2/2. पूरण लाल आत्मज केसरी लाल उम्र 47 वर्ष ।
   2/3. गरीबदास आत्मज केसरी लाल उम्र 45 वर्ष ।
   2/4. गोपी लाल आत्मज केसरी लाल उम्र 43 वर्ष ।
   2/5. चन्द्र प्रकाश आत्मज केसरी लाल उम्र 42 वर्ष ।
   2/6. रामरतन आत्मज केसरी लाल उम्र 40 वर्ष निवासीगण नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मंजू नायक पत्नी श्री महावीर प्रसाद नायक जाति नायक निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 71/दावा/2015

गुलाब बाई पुत्री गणेश राज पत्नी श्री श्योराम जाति लश्करी मेघवंशी निवासी खेडली फाटक कोटा ।

––वादी

बनाम

1. बजरंग लाल आत्मज पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण जाति लश्करी मेघवंशी । नन्दा आत्मज कंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम ढांक्या तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. धनराज आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण जाति लश्करी मेघवंशी निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

3. मोहनी बाई पत्नी स्व0 श्री मनफूल जाति लश्करी मेघवंशी ।
4. प्रिया आयु 17 वर्ष पुत्री स्व0 श्री मनफूल जाति लश्करी मेघवंशी नाबालिग ।
5. बरखा आयु 15 वर्ष पुत्री स्व0 श्री मनफूल जाति लश्करी मेघवंशी नाबालिग ।
6. मंजू आयु 13 वर्ष पुत्री स्व0 श्री मनफूल जाति लश्करी मेघवंशी नाबालिग ।
7. पंकज आयु 10 पुत्र स्व0 श्री मनफूल जाति लश्करी मेघवंशी नाबालिग समस्त नाबालिगान की जरिये वली माता श्रीमती मोहनी बाई पत्नी मनफूल जाति लश्करी मेघवंशी निवासीगण रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. पुष्पा बाई पत्नी श्री गणेश राम पत्नी श्री केसरी लाल जाति लश्करी मेघवंशी निवासी नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. मंजू नायक पत्नी श्री महावीर प्रसाद नायक जाति नायक निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.03.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 03.02.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री दीपक कलवार एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 03 की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि दोनों अपील अपीलान्ट अपील संख्या 19/141 एवं 19/142 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.03.2019 बहाल रखे जाते हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 03.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

3/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा